निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक–जीएनएम / प्रशिक्षण / 09 / 346 दिनांक– 11-5-09

जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सत्र 2009–10 में प्रवेश हेतु
संक्षिप्त विज्ञप्ति

इस निदेशालय के अधीन संचालित 15 राजकीय तथा 134 निजी नर्सिंग स्कूल्स (संख्या परिवर्तनीय) जिनकी सूची मय उपलब्ध सीटों के विस्तृत विज्ञप्ति में उपलब्ध है, में सत्र 2009–10 में जनरल नर्सिंग एवं मिडवाईफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये दिनांक–15.6.09 (सांय 6 बजे) तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन हेतु पात्रता/योग्यता की प्रमुख शर्तें निम्नानुसार है:–

1	शैक्षणिक योग्यता	पुरानी स्कीम में प्रथम वर्ष टी.डी.सी. अथवा नई (10+2) स्कीम से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से फीजिक्स, कैमेस्ट्री व बॉयलोजी विषयों के साथ सीनियर सैकण्ड्री परीक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा जारी अनुदेशिका के अनुसार अन्य **मान्यता प्राप्त बोर्डो** की इसके समकक्ष परीक्षा, उर्त्तीण होना अनिवार्य है । **(सामान्य एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 35 प्रतिशत न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य है) किसी जातिवर्ग में उक्त विषय वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अन्य विषय वर्ग के उसी वर्ग के प्रत्याशी प्रवेश के पात्र होंगे।**
2	आयु (1.10.09 को)	पुरूष अभ्यर्थी– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 28 वर्ष। महिला अभ्यर्थी– न्यूनतम 17 वर्ष, अधिकतम 34 वर्ष। **अनुसूचित जाति/ जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।**
3	सीटों की संख्या	कुल सीटों की संख्या (परिवर्तनीय) राजकीय स्कूल्स = 900 निजी स्कूल्स = 2508 **कुल = 3408**
4	आरक्षण	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 12 प्रतिशत तथा अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को 21 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार देय है। विकलांग श्रेणी के लिये 3 प्रतिशत तथा विभागीय कर्मचारियों के लिये 10 प्रतिशत क्षैतिज आधार पर आरक्षण देय है।
5	महिला आरक्षण	महिला अभ्यर्थियों के लिये 80 प्रतिशत सीटें आरक्षित है। **(आरक्षण की श्रेणीवार किसी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।)**
6	पाठ्यक्रम की अवधि	3 वर्ष एवं 6 माह, जिसमें 6 माह की इन्र्टनशिप भी शामिल है।
7	शिक्षण शुल्क	राजकीय प्रशिक्षण स्कूल 180/–रूपये वार्षिक। निजी प्रशिक्षण स्कूल 38000/–रूपये वार्षिक।
8	चयन प्रकिया	राज्य स्तरीय मेरिट एवं (काउंसलिंग के समय) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत विकल्प के आधार पर कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग के द्वारा। (अभ्यर्थी को 180/–रूपये का राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश हेतु तथा 10,000/– रूपये अग्रिम राशि का निजी स्कूल्स में प्रवेश हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट **"रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,जयपुर "** के नाम जमा करा देने पर ही काउंसिलिंग में प्रवेश प्राप्त होगा।) अनुपस्थित एवं उक्त ड्राफ्ट नहीं जमा कराने वाले अभ्यर्थी के नाम पर विचार नहीं किया जावेगा।
9	आवेदन शुल्क	100/–रूपये (अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु 50 रूपये मात्र) शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो, **आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के नाम देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
10	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र	विस्तृत विज्ञप्ति तथा आवेदन प्रपत्र विभागीय वैबसाईट www. rajswasthya.nic.in पर उपलब्ध है। साथ ही विज्ञप्ति निदेशालय, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालयों, समस्त राजकीय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों तथा समस्त रोजगार कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जासकती है। आवेदन प्रपत्र की टंकित/हस्तलिखित प्रति में भी आवेदन स्वीकार्य होगा।
11	आवेदन किस पते पर	आवेदन **अतिरिक्त निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर** के पते पर भेजें। लिफाफे पर (जी.एन.एम प्रशिक्षण 2009 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र) अवश्य लिखें।

अधिक जानकारी हेतु कृपया बिन्दू संख्या–10 अनुसार विस्तृत विज्ञप्ति को देखें।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर